-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना बबेरू व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को 03 घण्टे के अंदर पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार । घायल अभियुक्त के दोनों पैरों में लगी गोली । अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।**

विवरण- उ0प्र0 शासन की मंशा अनुसार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी बबेरू श्री कृष्णकांत के नेतृत्व में दिनांक 24.04.2026 की रात थाना बबेरू व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया ,जहां अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। गौरतलब हो कि दिनांक 24.04.2026 की शाम करीब 08.00 बजे थाना बबेरू क्षेत्रान्तर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को उसके पूर्व परिचित पडोसी व्यक्ति द्वारा अवैध असलहे से गोली मारकर घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक बांदा सहित समस्त अधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। घटनास्थल से फोरेन्सिक तथा अन्य टीमों द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों का गहन संकलन किया गया। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय, एसओजी व सर्विलांस सहित कई टीमों को लगाया गया। जिसमें अभियुक्त को 03 घण्टें के अंदर मुरवल बबेरू रोड पर मुरहा मोड़ के पास से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा , एक ज़िंदा कारतूस , तीन खोखा कारतूस बरामद हुये है। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है तथा जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 03 खोखा कारतूस 12 बोर
- 01 जिंदा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. असलम पुत्र सैयद हुसैन निवासी दूलथोक कस्बा बबेरू, थाना बबेरु जनपद बांदा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 161/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना बबेरु नपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 162/26 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री राजेन्द्र सिंह राजावत प्र0नि0 थाना बबेरु मय टीम
2. श्री आनन्द कुमार प्रभारी एसओजी मय टीम